संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्र./आई.डी.एस.पी./2020/81 भोपाल, दिनांक 31.01.2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
2. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।

विषय :–**Novel Corona Virus (n-Cov)** की रोकथाम एवं नियत्रंण के संबंध में।

संदर्भः–1. भारत सरकार का अर्धशासकीय पत्र क्र/ **Secy (HFW)/Imp/Corona Virus/2020, Date 31st January 2020**

2. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं का पत्र क्र/आई.डी.एस.पी./2020/69, दिनांक 25.01.2020

उपरोक्त विषयांर्गत लेख है कि हाल ही में चीन के हुबई राज्य के वुहान शहर में एक नये प्रकार का कोरोना वायरस (Novel corona virus 2019-nCoV) से निमोनिया के प्रकरण पाये गये है। चीन के अतिरिक्त 20 अन्य देश (जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, कम्बोडिया, थाईलेंड, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, मकाउ, फिलीपींस, ताईवान एवं फिनलेंड) कोरोना वायरस बीमारी के संक्रमण से प्रभावित हो चुके है। भारत में भी 1 प्रकरण की पुष्टि हो चुकि है। आज दिनांक 31.01.2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा इसे Public Health Emergency of International Concern घोषित किया गया है। दिनांक 30.01.2020 उच्च स्तरीय मीटिंग में कोरोना वायरस के संबंध में कई निर्णय लिए गए, जो कि निम्न प्रकार है :–

- 15 जनवरी 2020 के बाद चीन से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना वायरस (Novel corona virus 2019-nCoV) का टेस्ट किया जावेगा।
- आई.डी.एस.पी. की जिला स्तरीय RRT द्वारा उनका दिन में 02 बार निगरानी की जावेगी तथा 14 दिन के लिए Quarantine किया जावेगा।
- 15 जनवरी 2020 के बाद चीन तथा प्रभावित देशों से आने वाले सभी यात्रियों द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरवाया जाए (परिशिष्ट–अ)।
- अति आवश्यक होने पर ही चीन की यात्रा करने की सलाह देवे।
- जिला चिकित्सालयों में पॉजिटिव केस प्रबंधन हेतु Mock drill करवाई जाये, जिससे Gap analysis कर, राज्य सर्विलेंस इकाई को अवगत कराया जाए।
- जिले के सभी चिकित्सीय संस्थाओं में कोरोना वायरस संबंधी पूर्व में प्रेषित प्रोटोकाल–गाईड लाईन के अतिरिक्त ग्रह पृथीकरण (Home Isolation) की गाईड लाईन भी उपलब्ध कराई जाए। **(परिशिष्ट–ब)**
- ग्राम पंचायत स्तर पर आशा एवं ए.एन.एम द्वारा जनमानस को इस बीमारी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जावे।
- भर्ती मरीजों के लिए Director General of Health Services (DGHS) द्वारा तैयार डिस्चार्ज प्रोटोकाल के अनुरूप ही डिस्चार्ज किया जावे। (परिशिष्ट–स)

निरंतर............

- नोवेल कोरोना वायरस जांच सुविधाए को बढ़ाने के लिए 12 प्रयोगशाला चिंहित किये गए है, जो की निम्नानुसार है :–

S.No.	Name of Lab	S.No.	Name of Lab
1	NIV Bengaluru Unit,	7	ICMR- NICED Kolkata
2	Victoriya Hospital Campus, KR road, Fort Bengaluru	8	GMC Secunderabad
3	AIIMS New Delhi	9	KGMU Lucknow
4	NCDC Delhi	10	SMS Jaipur
5	Kasturba Hospital for Infectious Diseases, Mumbai	11	IGGMC Nagpur
6	NIV Kerala Unit	12	KIPMR Chennai

- नोवेल कोरोना वायरस बीमारी की जानकारी आमजन को प्रचार–प्रसार के माध्यम से दी जावें।

नोवेल कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से आ रहे यात्रियों की जानकारी पूर्व में प्रदाय किये गये प्रपत्रों में राज्य सर्विलेन्स इकाई के ईमेल idspssu@mp.gov.in पर प्रतिदिन भेजें तथा उक्त वायरस की अधिक जानकारी के लिए इस बेवसाइट www.who.int का उपयोग करें।

संलग्न :– 1. सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म (परिशिष्ट–अ)
2. ग्रह पृथीकरण (Home Isolation) (परिशिष्ट–ब)
3. डिस्चार्ज प्रोटोकाल (परिशिष्ट–स)

31/01/2020

(प्रतीक हजेला)
आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./2020/
भोपाल, दिनांक 31/01/2020

प्रतिलिपि:– कृपया सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, सतपुडा भवन भोपाल, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
4. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल, म.प्र.।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, समस्त सभांग, म.प्र.।
6. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.।
7. समस्त जिला सर्विलेन्स अधिकारी/एपिडिमियोलॉजिस्ट म.प्र.।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.